न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–87/2018

श्री महात्मामणि तिवारी...वादी
बनाम
ओम प्रकाश गुप्ता एवं अन्य...प्रतिवादीगण

06.01.2022 आवेदकगण की पैरवी है। प्रतिवादीगण की पैरवी नहीं है। आवेदकगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 23.08.2021 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 के तहत दाखिल किया गया है। जिस संबंध में प्रतिवादीगण को कई बार अवसर दिए जाने के बावजूद कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है, जिस कारण उनको दिनांक 23.12.2021 को प्रत्युत्तर दाखिल करने से वंचित किया जा चुका है।

आवेदकगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र वादी डा0 महात्मामणि तिवारी की मृत्यु दिनांक 17.04.2021 को हो गई है तथा वे अपने पीछे आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को विधिक वारिसान के रूप में छोड़ गए हैं। अतः वादपत्र से मृत वादी का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाय। अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र वादी की मृत्यु हो गई है। ऐसी दशा में आवेदकगण द्वारा दाखिल आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में उनका आवेदन न्याय हित में स्वीकार करते हुए कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत वादी का नाम कलमजद कर उसके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें। वास्ते अभिलेख दिनांक 21.01.2022. को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश(प्रथम)